यथा संशोधित 14 अगस्त 2019

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर–492 002
//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 7–19/2015/12 :: खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67 की धारा 9 (ख), 15(4) एवं 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

नियम

अध्याय–एक

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.**– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 कहलायेंगे।

(2) इन नियमों का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) ये नियम, 12 जनवरी, 2015 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. **परिभाषाएं.**– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं.67);

''(ख) ''**प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति''** से अभिप्रेत है जिले के भीतर खदान अथवा खदानों के समूह से खनन अथवा खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति, जैसा कि कलेक्टर के द्वारा अधिसूचित हो और खदान अथवा खदानों के समूह से खनन अथवा खनन से संबधित संक्रियाओं से जिले के बाहर प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति, जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित हो;''

(ग) **''लेखा परीक्षक''** से अभिप्रेत है शासी परिषद द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक/ सनदी लेखापाल और इसमें राज्य के महालेखाकार अथवा व्यवस्थापक द्वारा नामांकित अन्य लेखा परीक्षक भी सम्मिलित है;

(घ) **''कलेक्टर**'' का वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) के अंतर्गत उसके लिये समनुदेशित है;

(ङ) **''अंशदान''** से अभिप्रेत है अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा खनिजों के संबंध में यथा विहित रायल्टी का वह प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा गौण खनिजों के संबंध में यथा विहित रायल्टी का वह प्रतिशत जो कि खनिजों के मामलो में खनि पट्टा अथवा संयुक्त अनुज्ञप्ति (पूर्वेक्षण सह खनि पट्टाधारक) अथवा गौण खनिज के मामलों में खनन पट्टा अथवा उत्खनन पट्टा अथवा उत्खनन अनुज्ञापत्रधारकों से न्यास में एकत्र किया जाने वाला अंशदान;

(च) **''अंशदान निधि''** से अभिप्रेत है अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा खनिज के संबंध में यथा विहित रायल्टी का वह प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा गौण खनिज के संबंध में यथा विहित रायल्टी का वह प्रतिशत जो कि खनिजों के मामलो में खनि पट्टा अथवा संयुक्त अनुज्ञप्ति (पूर्वेक्षण सह खनि पट्टाधारक) अथवा गौण खनिज के मामलों में खनन पट्टा अथवा उत्खनन पट्टा अथवा उत्खनन अनुज्ञापत्रधारकों से अंशदान के माध्यम से एकत्र की जाने वाली निधि अथवा न्यास द्वारा प्राप्त कोई अन्य निधि;

(छ) **''प्ररूप''** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ज) **''शासी परिषद''** से अभिप्रेत है जिला खनिज संस्थान न्यास के समस्त न्यासी;

(झ) **''ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम सभा''** का वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित है;

*(झझ) ''प्रभारी मंत्री'' से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा जिले के लिए घोषित प्रभारी मंत्री।

(ञ) **''पट्टा क्षेत्र''** से अभिप्रेत है किसी खनिज और/अथवा गौण खनिज हेतु पूर्वेक्षण अथवा खनन संक्रियाओं के प्रयोजन के लिये स्वीकृत क्षेत्र;

(ट) **''खनन''** से अभिप्रेत है किसी खनिज अथवा गौण खनिज को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली संक्रियाएं;

(ठ) **''प्रबंधकारणी समिति''** से अभिप्रेत है व्यवस्थापक द्वारा न्यास के कार्यों के प्रबंधन के उद्देश्य से बनाई गयी समिति;

(ड) **''राज्य स्तरीय निगरानी समिति''** से अभिप्रेत है जिलों के बाहर समस्त न्यासो के समग्र प्रबंधन के लिए व्यापक नीति की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति;

(ढ) **''व्यवस्थापक''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा किया जायेगा और इसका मुख्यालय नया रायपुर में होगा;

(ण) **''राज्य सरकार''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन का खनिज साधन विभाग;

(त) **''न्यास''** से अभिप्रेत है व्यवस्थापक द्वारा स्थापित जिला खनिज संस्थान न्यास, (जिले का नाम);

(थ) **''न्यास विलेख''** से अभिप्रेत है न्यासियों के पक्ष में प्ररूप–क में व्यवस्थापक द्वारा निष्पादित विलेख;

(द) **''न्यासी/न्यासियों''** से अभिप्रेत है न्यास के प्रबंधन के उद्देश्य से व्यवस्थापक द्वारा नियुक्त व्यक्ति;

''(दद) ''न्यास निधि'' से अभिप्रेत है, जैसा कि नियम 20 में वर्णित है;''

(ध) **''वर्ष''** से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष जो 01 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त अथवा अवधि का वह भाग जो 31 मार्च को समाप्त हो।

''(न) सूचीबद्ध संस्था'' से अभिप्रेत है ऐसी संस्था, जो कि पारदर्शिता प्रक्रिया के साथ जिला खनिज संस्थान न्यास के शासी परिषद् द्वारा चयनित हो । उक्त संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण, हितग्राहियों का चिन्हांकन (प्रत्यक्ष प्रभावित और अप्रत्यक्ष प्रभावित), परियोजना की निगरानी, न्यास योजनाओं एवं सामाजिक संपरीक्षा के विकास के लिए मास्टर प्लान/विजन डाक्यूमेंट तैयार करना अंतर्वलित होगा।''

(2) शब्द और अभिव्यक्तियों जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है।

अध्याय–दो

जिला खनिज संस्थान न्यास

3. **जिला खनिज संस्थान न्यास.**– (1) छत्तीसगढ़ के प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला खनिज संस्थान न्यास गठित किया जायेगा जिसे उक्त जिले के जिला खनिज संस्थान न्यास के नाम से जाना जायेगा।

***((1क) *जिला खनिज संस्थान न्यास विलेख का निष्पादन प्ररूप–क में व्यवस्थापक एवं न्यासियों द्वारा किया जायेगा।(दिनांक 26 नवम्बर 2016)*

(2) न्यास, एक शाश्वत निकाय होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी।

(3) व्यवस्थापक जिला खनिज संस्थान न्यास के न्यासियों को अधिसूचित करेगा।

(4) न्यास, एक गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्था होगी।

(5) न्यास, 12 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आ गया समझा जायेगा।

4. **न्यास का नाम एवं अवस्थिति.**– न्यास को जिला खनिज संस्थान न्यास (जिले का नाम) के नाम से जाना जाएगा एवं इसका कार्यालय, जिले के मुख्यालय में अवस्थित होगा।

***27 नवम्बर 2016 द्वारा अंतःस्थापित**

5. **न्यास के उद्देश्य.**– जिला खनिज संस्थान न्यास का उद्देश्य खनन अथवा खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्र के हित एवं लाभ के लिए ऐसी रीति से कार्य करना होगा जैसा कि इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

6. **प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों की पहचान.**–

(1) प्रभावित क्षेत्र में सम्मिलित है–

(क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र– जहां पर प्रत्यक्ष रूप से खनन से संबंधित संक्रियाएं जैसे कि खुदाई, खनन, विस्फोटन, प्रसंस्करण और अपशिष्ट निपटान (अधिभार ढेरो, अवशिष्ट पोखर, परिवहन गलियारा आदि) अवस्थित हो। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैः–

(एक) ग्राम एवं ग्राम पंचायत जिसके अंतर्गत खदान स्थित हो और संचालित हो। इस तरह का खनन क्षेत्र पड़ोस के ग्राम, ब्लॉक अथवा राज्य के जिले तक विस्तारित किया जा सकता है।

(दो) ऐसे ग्रामों, जिसमें खदान से विस्थापित परिवारों को परियोजना प्राधिकारियों द्वारा बसाया/पुनर्वास किया गया हो।

(तीन) ऐसे ग्रामों, जो कि खनन क्षेत्र पर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और जिस परियोजना क्षेत्र पर उपभोग करने का तथा पारंपरिक अधिकारों को रखते हो, उदाहरण स्वरूप चराई के लिए, लघु वनोपज का संग्रहण आदि को प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र के रूप में विचार किया जाना चाहिये।

(ख) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र – ऐसे क्षेत्र जहां पर स्थानीय आबादी खनन से संबंधित संक्रियाओं के परिणामों के कारण आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से प्रतिकूल प्रभावित हुई हो। जल, मिट्टी और वायु के गुणवत्ता में गिरावट, जल धारा प्रवाह में कमी, और भू–जल में गिरावट, खनन संक्रियाओं के कारण भीड़ एवं प्रदूषण, खनिज परिवहन के कारण विद्यमान अधोसंरचना और संसाधनों पर बोझ की वृद्धि होना, खनन के प्रमुख नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं।

(ग) खदान एवं खदान के समूह से ऐसी परिधि के अंदर का क्षेत्र, जैसा कि (जिले के भीतर) कलेक्टर द्वारा तथा (जिले के बाहर) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, चाहे उक्त क्षेत्र संबंधित जिले अथवा समीपवर्ती जिले/जिलों के भीतर आता हो।

(घ) उपरोक्त के आधार पर न्यास द्वारा खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की सूची तैयार की जाएगी और अद्यतन सूची संधारित की जायेगी।

(2) 'प्रभावित व्यक्ति'' में सम्मिलित हैः–

(क) प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले/कार्यरत व्यक्ति तथा निम्नलिखित को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति में शामिल किया जायेगाः–

(एक) 'प्रभावित परिवार' जैसा कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30) की धारा 3(ग) में परिभाषित है।

(दो) 'विस्थापित परिवार' जैसा कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 30) की धारा 3(ट) में परिभाषित है।

(तीन) संबंधित ग्राम सभा द्वारा सम्यक् रूप से पहचाने गये अन्य कोई।

(ख) खनन से प्रभावित व्यक्तियों में उन व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जायेगा, जिनका खनन किये जाने वाले भूमि पर वैधानिक और व्यावसायिक अधिकार हो और वें भी, जिनका उपभोग करने का और पारंपरिक अधिकार हो।

(ग) प्रभावित परिवारों की पहचान यथा संभव ग्राम सभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के परामर्श से किया जायेगा।

(घ) इस प्रकार प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की न्यास द्वारा सूची तैयार की जायेगी और अद्यतन रूप से संधारित की जायेगी।

7. **नियुक्ति एवं घोषणा पत्र.**– (1) न्यास विलेख के द्वारा गठित जिला खनिज संस्थान न्यास के न्यासियों के रूप में व्यक्तियों, जैसा कि नियम 10 में उल्लिखित है, की नियुक्ति व्यवस्थापक द्वारा की जाएगी और न्यास विलेख में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों पर की गयी नियुक्ति को न्यासी स्वीकार करेगा।

(2) शासकीय पदनाम द्वारा नियुक्त किये गये न्यासी, पद एवं पदनाम पर रहने की अवधि तक न्यासी बने रहेंगे और जैसे ही उक्त पद जिस पर वे इस प्रकार नियुक्त अर्थात् पदेन थे, की समाप्ति होते ही न्यासी नही समझे जाएंगे और कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी को उक्त शासकीय पदनाम प्राप्त होने के दिनांक से उनके स्थान पर न्यासी नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

(3) नामांकित किये जाने वाले न्यासियों की नियुक्ति की अवधि, उनके न्यासी नियुक्त किये जाने की तिथि से तीन वर्ष के लिए प्रभावशील होगी और उसके उपरांत व्यवस्थापक अगले अवधि के लिए उनकी नियुक्ति का नवीनीकरण

कर सकेगा अथवा उनके स्थान में अन्य किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकेगाः

परन्तु इस तरह से नामांकित न्यासी की अवधि, प्रत्येक तीन वर्ष की दो अवधि से अधिक की नहीं होगी।

(4) व्यवस्थापक, किसी भी समय किसी भी संवर्ग में और ऐसी अवधि के लिए जो कि व्यवस्थापक द्वारा ठीक समझा जाये, न्यासियों की संख्या में वृद्धि कर सकेगा।

(5) व्यवस्थापक, स्वविवेक से किसी भी समय किसी भी न्यासी को हटा सकेगा और किसी अन्य व्यक्ति को न्यासी के रूप में नियुक्त कर सकेगा। व्यवस्थापक द्वारा इस प्रकार हटाये गये न्यासी, हटाये जाने की तिथि से न्यासी नहीं रहेंगे।

(6) उसमें (न्यास विलेख में) घोषित अधिकार एवं प्रावधानों एवं उससे अंतर्विष्ट विषय के अधीन न्यासियों का न्यास निधि पर आधिपत्य रहेगा और न्यासियों को न्यास की समयावधि के दौरान किसी भी समय किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी अन्य न्यास के प्रावधानों से व्यक्तियों अथवा अन्यथा इसी उद्देश्य से धारण करने वाले अथवा न्यासियों की ओर से न्यास निधि की अभिवृद्धि के लिए संपत्ति स्वीकार करने का अधिकार होगा।

अध्याय–तीन

न्यास का गठन

8. न्यास का प्रबंधन.– न्यास का प्रबंधन, शासी परिषद् में निहित होगा जिसमें न्यास के समस्त न्यासी सम्मिलित होंगे। तथापि, न्यास के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन की व्यवस्था प्रबंधकारिणी समिति द्वारा की जायेगी। तथापि, व्यवस्थापक, प्रबंधकारिणी समिति की विरचना को किसी भी समय परिवर्तन करने का निर्णय ले सकेगा। शासी परिषद् एवं प्रबंधकारिणी समिति की शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि इन नियमों में अन्तर्विष्ट है।

9. न्यास के न्यासी.– न्यास के कार्यों को नियमन करने के लिए, व्यवस्थापक द्वारा न्यासियों की नियुक्ति की जायेगी।

10. शासी परिषद्.– ऐसे जनप्रतिधियों, जो व्यवस्थापक द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि, जो कि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, के लिये नियुक्त किये जायेंगे के सिवाय पदेन न्यासधारिता धारण करने वाले राज्य सरकार के विभागों के अधिकारीगण, न्यासी होंगे। नामांकित सदस्यों को दो कालावधि से अधिक के लिए पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। खनिज रियायतधारियों में से अधिकतम तीन प्रतिनिधियों को

विनिर्दिष्ट समयावधि, जो कि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, के लिये कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया जायेगा। न्यासी निम्नानुसार होंगेः–

स. क्र.	न्यासी के पद के नाम/विवरण	न्यास में पदनाम
(1)	(2)	(3)
*1	संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री	पदेन अध्यक्ष
*1क	संबंधित जिले के कलेक्टर	पदेन सदस्य सचिव
*1ख	संबंधित जिले के समस्त विधानसभा सदस्य	पदेन सदस्य
2	तीन जनप्रतिनिधि (व्यवस्थापक द्वारा नामांकित)	सदस्य
3	जिले के खनिज रियायतधारियों में से मात्र तीन प्रतिनिधि (जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित)	सदस्य
4	प्रभावित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के कोई दो सरपंच (कलेक्टर द्वारा नामांकित)	सदस्य
*4क	प्रभावित क्षेत्र की ग्राम सभा के 10 सदस्य (कलेक्टर द्वारा नामांकित) (क) प्रत्येक ग्राम सभा से एक महिला सहित कुल दो सदस्य का ही नामांकन किया जायेगा। (ख) खनन क्षेत्र की ग्राम सभा के सदस्यों के अतिरिक्त, समीपस्थ ग्राम सभा के सदस्यों को नामांकन में प्राथमिकता दी जायेगी । (ग) प्रभावित क्षेत्र नगरीय क्षेत्र होने की स्थिति में, स्थानीय नगरीय निकाय के दो सदस्यों का नामांकन किया जायेगा। (घ) अनुसूचित क्षेत्र की दशा में, प्रत्येक न्यास के लिए ग्राम सभा के कुल नामांकित सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों को अनुसूचित जनजाति से नामांकित किये जायेंगे।''	सदस्य
5	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	*पदेन सदस्य
6	पुलिस अधीक्षक	पदेन सदस्य
7	वन मंडलाधिकारी	पदेन सदस्य
8	उप संचालक (खनिज प्रशासन)/खनि अधिकारी	पदेन सदस्य
9	उप संचालक पंचायत	पदेन सदस्य
10	अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	पदेन सदस्य
11	जिला शिक्षा अधिकारी	पदेन सदस्य
12	सहायक आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	पदेन सदस्य
13	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सदस्य
14	उप संचालक कृषि	पदेन सदस्य
15	उप/सहायक संचालक, उद्यानिकी	पदेन सदस्य
16	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	पदेन सदस्य
17	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा	पदेन सदस्य
18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य
19	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	पदेन सदस्य
20	जिला रोजगार अधिकारी	पदेन सदस्य
21	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	पदेन सदस्य

''22	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	पदेन सदस्य
23	उप संचालक, समाज कल्याण	पदेन सदस्य
24	कार्यपालन अभियंता, क्रेडा	पदेन सदस्य
25	जिले के समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी	पदेन सदस्य''

11. न्यासियों के निर्णय.– (1) शासी परिषद् की बैठक में न्यासियों द्वारा समस्त निर्णय लिए जायेंगे और शासी परिषद की प्रत्येक बैठक, न्यास की बैठक समझी जायेगी।

(2) शासी परिषद् के समस्त निर्णय, उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतदान से लिए जायेंगे। मत बराबर होने की स्थिति में, बैठक के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(3) जब तक कि व्यवस्थापक द्वारा सहमति नहीं दी जायेगी, न्यासियों द्वारा न्यास विलेख के किसी भाग को संशोधित नहीं किया जायेगा।

(4) व्यवस्थापक द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों, दिशा निर्देशों इत्यादि के अनुसार ही न्यासियों, शासी परिषद और प्रबंधकारिणी समिति द्वारा कार्य किये जायेंगे।

12. शासी परिषद् के अधिकार एवं कृत्य.– शासी परिषद्, जिसमें समस्त न्यासी शामिल है, निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होंगे–

(1) न्यास के संचालन के लिए रूपरेखा (प्रक्रिया) तैयार करना और अनुमोदन करना एवं समय–समय पर इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।

''(1क) वार्षिक कार्य योजना शासी परिषद द्वारा अनुमोदित की जायेगी जो कि 5 वर्षीय विजन प्लान पर आधारित होगी, जो किसी जिले/ग्राम सभा से जुड़े प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकताओं के सर्वेक्षण पर आधारित हो। प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकताओं के चिन्हांकन के लिए आधारभूत सर्वेक्षण किया जायेगा और आवश्यकतानुसार नागरिक सामाजिक संगठनों की सहायता ली जा सकेगी।''

(2) न्यास के वार्षिक कार्य योजना एवं वार्षिक बजट, जो प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए, का अनुमोदन करना। शासी परिषद द्वारा वर्ष के प्रारंभ होने के कम से कम एक माह पूर्व वार्षिक कार्य योजना तैयार करना होगा और अनुमोदन करना होगा। वार्षिक कार्य योजना में अनन्तिम प्रावधानों के साथ योजनाओं एवं परियोजनाओं की सूची अन्तर्विष्ट होगी:

''परंतु यह कि वार्षिक योजना या बजट से किसी भी विचलन के मामले में, योजना/परियोजना को शासी परिषद् से कार्योत्तर अनुमोदन आगामी 6 माह के अंदर प्राप्त करना आवश्यक होगा । ऐसे कार्यों का कुल

व्यय, न्यास की वार्षिक अपेक्षित प्राप्तियों का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।''

परन्तु यह और कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना तैयार करते समय पूर्व के दायित्वों एवं ऋणों को भी समग्र रूप से आंकलन किया जाना होगा। वित्तीय अनुशासन बनाये रखने और योजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए पूर्व के दायित्वों एवं ऋणों और प्रस्तावित नई योजनाओं के योग, अगले वित्तीय वर्ष के अनुमानित अंतर्वाह (अनुमानित प्राप्तियों) से किसी भी स्थिति में तीन गुना से अधिक नहीं होना चाहिये।

(3) न्यास निधि से ग्राम सभा में निष्पादित किये गये विकास योजनाओं/कार्यों का सामाजिक ऑडिट करवाना।

''(3क) सामाजिक संपरीक्षा ऐसे सूचीबद्ध संस्थाओं के माध्यम से कराई जायेगी, जो राज्य में मनरेगा एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं/परियोजना के समरूप योजनाओं में सामाजिक संपरीक्षा के लिए राज्य शासन से अधिकृत और शासी परिषद द्वारा अनुमोदित हो।

सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया दो चरणों में संपादित होगी। प्रथम चरण, प्रभावित क्षेत्र की आवश्यकताओं के चिन्हांकन से संबंधित होगा और द्वितीय चरण, आवश्यकताओं से संबंधित कार्यो के क्रियान्वयन और गुणवत्ता से संबंधित होगा।''

(4) उपलब्ध न्यास निधि से ऐसे अन्य व्यय जो कि न्यास के उद्देश्यों से अलग हो, को व्यवस्थापक द्वारा यथा विहित तरीके से अनुमोदन करना।

(5) प्रबंधकारिणी समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन करना।

(6) विगत वर्ष के समाप्ति के 90 दिवस के भीतर न्यास के वार्षिक प्रतिवेदन और अंकेक्षित लेखा का अनुमोदन करना।

(7) न्यास के संचालन हेतु, व्यवस्थापक द्वारा विनिश्चित अनुसार, प्रतिनियुक्ति, संविदा अथवा आउटसोर्सिंग के आधर पर अधिकारियों की नियुक्तियों का अनुसमर्थन करना।

''(8) जिन जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास निधि की वार्षिक प्राप्ति रूपये 25 करोड़ या उससे अधिक हो, ऐसे जिलों के न्यास में सूचीबद्ध संस्था के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्तियों के चिन्हांकन एवं विजन डॉक्यूमेंट हेतु आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण एवं सामाजिक संपरीक्षा कराई जायेगी। जिला खनिज संस्थान न्यास निधि की वार्षिक प्राप्ति रूपये 25 करोड से कम होने पर, प्रभावित क्षेत्र/व्यक्तियों के चिन्हांकन एवं विजन डॉक्यूमेंट हेतु आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण एवं सामाजिक संपरीक्षा, जिलों में उपलब्ध संसाधनों/विशेषज्ञों के माध्यम से कराई जायेगी।''

13. **शासी परिषद् की बैठकें**.— (1) शासी परिषद् की बैठक, जब भी आवश्यक हो, होगी किन्तु प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार होगी।

(2) अध्यक्ष की इच्छानुसार शासी परिषद की बैठक आहूत की जाएगी।

(3) शासी परिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से बैठक का कोरम होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है, तो बैठक आधे घंटे के लिये स्थगित की जायेगी और उसी स्थान पर उसी दिन पुनः आहूत की जायेगी जिसके लिये कोरम की शर्त लागू नहीं होगी।

14. **प्रबंधकारिणी समिति**.— न्यास के कार्यों का प्रबंधन, दैनंदिनी आधार पर प्रबंधकारिणी समिति द्वारा की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगेः—

स. क्र.	पद के नाम	न्यास में पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	संबंधित जिले के कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	पदेन सदस्य सचिव
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सदस्य
4.	वन मण्डलाधिकारी	पदेन सदस्य
5.	उप संचालक, पंचायत	पदेन सदस्य
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सदस्य
7.	अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्टिब्यूशन कंपनी लिमिटेड	पदेन सदस्य
8.	उप संचालक (खनिज प्रशासन)/खनि अधिकारी	पदेन सदस्य
9.	उप संचालक कृषि/उद्यानिकी	पदेन सदस्य
10.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	पदेन सदस्य
11.	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	पदेन सदस्य
12.	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा	पदेन सदस्य
13.	जिला शिक्षा अधिकारी	पदेन सदस्य
14.	सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग	पदेन सदस्य
15.	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य
16.	जिला रोजगार अधिकारी	पदेन सदस्य
17.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	पदेन सदस्य
''18	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	पदेन सदस्य
19	उप संचालक, समाज कल्याण	पदेन सदस्य
20	कार्यपालन अभियंता, केडा	पदेन सदस्य
21	जिले के समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी	पदेन सदस्य''

15. **प्रबंधकारिणी समिति की शक्तियां और कृत्य**.— प्रबंधकारिणी समिति—

(1) न्यास के हितों के संरक्षण हेतु अपने दायित्वों का निर्वहन समुचित कर्मठता के साथ करेगी;

(2) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एवं व्यवस्थापक द्वारा निर्धारित रीति से संबंधित खनि पट्टाधारियों से समय पर अंशदान एकत्र करना सुनिश्चित करेगी;

(3) न्यास की गतिविधियों के लिए मास्टर प्लान/विजन डाकूमेंट तैयार करेगी;

''(3क) न्यास की गतिविधियों के लिए पांच वर्षीय मास्टर प्लान/विजन डाक्यूमेंट, सूचीबद्ध संस्था द्वारा संपादित सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुरूप तैयार किया जायेगा । मास्टर प्लान/विजन डाक्यूमेंट का अनुमोदन शासी परिषद द्वारा किया जायेगा। मास्टर प्लान/विजन डाक्यूमेंट का निरीक्षण व्यवस्थापक के दिशा निर्देश पर किसी भी समय तृतीय पक्ष द्वारा करवाया जा सकेगा। आगामी वर्ष के लिए वार्षिक योजना प्रबंधकारिणी समिति द्वारा तैयार की जायेगी तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में शासी परिषद द्वारा अनुमोदित की जायेगी ।''

(4) जिले के ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, जिला पंचायतों और स्थानीय नगरीय निकायों, शासकीय विभागों और मंडल, निगमों तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार के सार्वजनिक प्रक्षेत्र के उपक्रमों आदि से प्रस्ताव/परियोजनाओं को प्राप्त करेगी। तथापि, प्रबंध कार्यकारिणी समिति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रभावित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं से प्रस्ताव एवं परियोजना प्राप्त कर सकेगी;

(5) न्यास के वार्षिक योजना का समन्वय, संचित तथा विकसित करना और प्रस्तावित योजना और परियोजनाओं के साथ न्यास के वार्षिक योजना और वार्षिक बजट को तैयार करने में सहायता करेगी;

(6) वार्षिक योजना और अनुमोदित स्कीम और परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करेगी और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी;

(7) परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करेगी और उसके लिए न्यास निधि उपलब्ध करायेगी और वितरित करेगी;

(8) न्यास निधि का संचालन और उसका अध्यवसायी तरीके से निवेश और न्यास के नाम पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अनुसूचित व्यापारिक बैंक में खाता खोलेगी और उस खाते का संचालन और निवेश करेगी;

(9) न्यास निधि के उपयोग की प्रगति की निगरानी करेगी;

(10) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिवसों के भीतर शासी परिषद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिये, वार्षिक प्रतिवेदन के साथ अंकेक्षित लेखा प्रस्तुत करेगी;

(11) न्यास के कार्यों के संपादन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण एवं अनुमोदन करेगी;

(12) व्यवस्थापक के निर्देशानुसार कर्मचारियों और लेखा परीक्षको की नियुक्ति करेगी तथापि, इन नियुक्तियों का अनुसमर्थन शासी परिषद् से कराया जाना आवश्यक होगा;

(13) वेबसाइट तैयार करेगी और उसका संधारण करेगी जिस पर अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित जानकारी प्रविष्ट की जायेगीः–

(क) न्यास/न्यास के निकाय (यदि कोई हो) के संरचना का विवरण;

(ख) खदानों से प्रभावित क्षेत्र तथा लोगों की सूची;

(ग) पट्टाधारक तथा अन्य से प्राप्त समस्त योगदानों का त्रैमासिक विवरण;

(घ) बैठक की समस्त एजेंडा, मिनट्स तथा न्यास के द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन;

(ङ) वार्षिक योजना एवं बजट, कार्य आदेश, वार्षिक प्रतिवेदन;

(च) चल रहे कार्यों का ऑनलाइन प्रास्थिति, समस्त परियोजनाओं/कार्यक्रमों की क्रियान्वयन की प्रास्थिति/प्रगति, वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये जिसमें कार्य का विवरण, हितग्राहियों की जानकारी, अनुमानित व्यय, क्रियान्वयन अभिकरण का नाम, प्रारंभ एवं समापन की संभावित तिथि, पिछले त्रैमासिक तक की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति आदि सम्मिलित है;

(छ) विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत हितग्राहियों की सूची; और

(ज) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 22) के अधीन स्वैच्छिक प्रकटीकरण।

(14) समस्त अन्य कार्य करेगी जो न्यास के सहज संचालन एवं प्रबंध के लिये आवश्यक हो।

16. प्रबंधकारिणी समिति की बैठकें.– (1) वित्तीय वर्ष में प्रबंधकारिणी समिति की कम से कम चार बैठकें आहूत की जायेंगी तथा उसे (बैठकें) अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित अनुसार आहूत की जायेगी।

(2) प्रबंधकारिणी समिति के कुल सदस्यों की एक तिहाई सदस्यों से बैठक का कोरम होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है, तो बैठक आधे घंटे के लिये स्थगित की जायेगी तथा उसी स्थान पर उसी दिन पुनः आहूत की जायेगी जिसके लिये कोरम की शर्त लागू नहीं होगी।

अध्याय–चार

राज्य स्तरीय निगरानी समिति

17. विरचना.– (1) जिलों के बाहर समस्त न्यासों के समग्र प्रबंधन के लिये व्यापक नीति की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति होगी।

(2) राज्य स्तरीय निगरानी समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगेः–

स. क्र.	सदस्यों का विवरण	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	मुख्यमंत्री	पदेन अध्यक्ष
2	वित्त मंत्री	पदेन सदस्य
3	कृषि मंत्री	पदेन सदस्य
4	वन मंत्री	पदेन सदस्य
5	पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री	पदेन सदस्य
6	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री	पदेन सदस्य
7	आदिम जाति विकास मंत्री	पदेन सदस्य
8	स्कूल शिक्षा मंत्री	पदेन सदस्य
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री	पदेन सदस्य
10	मुख्य सचिव	पदेन सदस्य
11	सचिव, खनिज साधन विभाग	पदेन सदस्य सचिव

(3) अध्यक्ष की अनुमति से समय समय पर ऐसे सदस्यों को भी समिति के विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा, जिसे अध्यक्ष उचित समझे।

''(4) राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी।''

18. राज्य स्तरीय निगरानी समिति की शक्तियां एवं कत्य.– (1) न्यास के उद्देश्य के अनुरूप जिलों के बाहर समस्त न्यास के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करेगी।

(2) खदान अथवा खदानों के समूह से अंशदान निधि का जिले के प्रभावित क्षेत्रों के उसी खदान और खदान के समूह के मध्य वितरण करेगी।

(3) पोर्टल, जिसमें न्यास द्वारा वार्षिक योजनायें प्रदान की गयी स्वीकृति और अनुमोदन अन्तर्विष्ट है, के माध्यम से ऑनलाईन निगरानी व्यवस्था बनायेगी।

(4) ई–गवर्नेन्स के उपयोग के माध्यम से निगरानी एवं न्यास निधि के व्यय में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।

''(5) राज्य स्तरीय जिला खनिज संस्थान न्यास प्रकोष्ठ के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था से संबंधित पद संरचना का अनुमोदन करेगी।''

अध्याय–पांच

अंशदान निधि एवं न्यास निधि का प्रबंधन

19. अंशदान निधि.– (1) अंशदान निधि का संधारण न्यास के प्रबंधकारिणी समिति द्वारा किया जायेगा। अंशदान निधि में, मुख्य खनिज के मामलो में खनि पट्टा अथवा संयुक्त अनुज्ञप्ति (पूर्वेक्षण सह खनि पट्टा) धारको अथवा गौण खनिज के मामलों में खनि पट्टा अथवा उत्खनन पट्टा अथवा उत्खनन अनुज्ञापत्र अथवा संयुक्त अनुज्ञप्ति (पूर्वेक्षण सह खनि पट्टा) धारकों से अंशदान के माध्यम से एकत्रित निधि समाविष्ट होगी।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक कोष को रखने के लिए अनुमोदित एक या अधिक अनुसूचित व्यापारिक बैंक में अंशदान निधि को न्यास के नाम पर ही रखा जायेगा और समस्त खातों का प्रचालन प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष और प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य–सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। न्यास की प्रबंधकारिणी समिति, इस निधि की लेखा पुस्तिका का संधारण करेगी।

20. न्यास निधि.– जिला खनिज संस्थान न्यास की न्यास निधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः–

(1) व्यवस्थापक द्वारा किया गया प्रारम्भिक भुगतान;

(2) व्यवस्थापक अथवा अन्य किसी अभिकरण, संस्था अथवा व्यक्ति से प्राप्त कोई अनुदान, अभिदान अथवा अन्य पूंजीगत सहायता;

(3) राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा यथा खान या खान के समूहों से इन नियमों के नियम 2 (1) (च) में यथा परिभाषित अंशदान निधि का भाग;

(4) निवेश और अन्य जमा और उस पर प्रोद्भूत ब्याज और उससे प्राप्त होने वाली अन्य कोई आय;

(5) न्यास की अन्य समस्त संपत्ति और उससे प्राप्त होने वाली आय अथवा अधिमूल्यन; और

(6) अन्य जिलों के अंशदान निधि से प्राप्त निधि जैसा कि राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा निर्धारित किया जाये।

21. **न्यास निधि का संचालन.**– भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे सार्वजनिक निधि को रखने के लिये अनुमोदित एक या अधिक अनुसूचित व्यवसायिक बैंक में न्यास निधि को, न्यास के नाम पर रखा जायेगा और समस्त खातों का प्रचालन प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष और प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य–सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। न्यास की प्रबंधकारिणी समिति इस निधि के लेखा पुस्तिका का संधारण करेगी। यह खाता, अंशदान निधि से पृथक रूप से संधारित की जायेगी।

22. **न्यास निधि से व्यय.**– न्यास के पास उपलब्ध निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगाः–

(1) प्रबंधकारिणी समिति द्वारा तैयार और न्यास के शासी परिषद् द्वारा इस प्रयोजन हेतु अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप खनन अथवा खनन से संबंधित संक्रियाओ से ''प्रभावित क्षेत्रों/व्यक्तियों के हित और लाभ तथा समग्र विकास हेतु''

''(1क) न्यास निधि में प्राप्त राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति पर व्यय की जायेगी तथा शेष राशि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति पर व्यय की जा सकेगी। विशेष परिस्थिति में शासी परिषद के पूर्वानुमोदन से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्ति पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत राशि व्यय की जा सकेगीः

परन्तु यह कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य लोकहित से संबंधित ऐसी सेवायें/योजना/परियोजना, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र/व्यक्तियों को उपलब्ध कराने हेतु अन्यत्र स्थापित किया जाना उनके बेहतर हित के लिए आवश्यक हो, पर शासी परिषद के अनुमोदन से निधि का उपयोग किया जा सकता हैं। ऐसे कार्यों में प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक होगा। ऐसा व्यय प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र के लोगों पर किया गया मान्य किया जाएगा।''

(2) न्यास के पास उपलब्ध निधि का कम से कम 60% को उच्च प्राथमिकता के क्षेत्रो में उपयोजित की जायेगी, जैसे किः–

(क) **पेयजल आपूर्ति** :– केन्द्रीय शुद्धिकरण प्रणालियों, जल उपचार संयंत्रों, स्थायी/अस्थायी जल वितरण जाल (संरचना) जिसमें स्टैण्ड एलोन पेयजल सुविधा भी सम्मिलित है, जल आपूर्ति के लिये पाईप लाइन डालना।

''पेयजल हेतु सौर उर्जा आधारित परियोजना, वृहद पेयजल योजना/परियोजना में भौगोलिक स्थिति के अनुरूप आवश्यकतानुसार योजना के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित क्षेत्र/अन्य क्षेत्र के ग्रामों को भी सम्मिलित किया जा सकता है।''

(ख) **पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय** :– दूषित जल प्रवाह उपचार संयंत्र, क्षेत्र के जलधाराओं, तालाबों, पोखरों, भू–जल, अन्य जल स्त्रोतों के प्रदूषण निवारण, खनन संक्रियाओं एवं ढेरों के कारण होने वाले वायु एवं धूल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, खान जल निकासी प्रणाली, खान प्रदूषण निवारण तकनीकियों और चालू अथवा बंद खदानों के लिये उपाय तथा पर्यावरण अनुकूल एवं सतत् खान विकास हेतु अपेक्षित वायु, जल तथा सतह प्रदूषण नियंत्रण तंत्र।

''नदी तट एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सघन वृक्षारोपण, नदी/नालों (नरवा) के संवर्धन/संरक्षण संबंधी कार्य।''

(ग) **स्वास्थ्य देखभाल** :– प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के निर्माण कराने पर केंद्रित होना चाहिये। स्वास्थ्य सेवाओं अधोसंरचना के निर्माण पर ही जोर नहीं दिया जाना चाहिये अपितु इस तरह की सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक अमले, उपकरण एवं अन्य आपूर्तियों के प्रावधानों पर भी जोर दिया जाना चाहिये। विद्यमान स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना के अभिसरण में अनुपूर्ति के प्रयास किये जाने की सीमा तक खनन से संबंधित बीमारियों और व्याधियों की अपेक्षा करने की आवश्यकता हेतु विशेष अधोसंरचना बनाने हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ के पास उपलब्ध विशेषज्ञता को भी आकृष्ट करना। खनन से प्रभावित व्यक्तियों के स्वास्थ्य सेवाओं के लिये समूह बीमा योजना।

''शासकीय चिकित्सालयों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के उन्नयन, यथा गहन चिकित्सा ईकाई से संबंधित सुविधाऐं, स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक अधोसंरचना का सृजन एवं सभी आवश्यक उपाय।''

(घ) **शिक्षा** :– शैक्षणिक संस्थाओं और व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, अतिरिक्त कक्षा–कक्षों (क्लास रूम्स), प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला एवं शिल्प कक्ष, प्रसाधन खण्डों, पेयजल प्रावधान, सुदूर क्षेत्रो में विद्यार्थियों/शिक्षकों के लिये होस्टल्स, खेल अधोसंरचना, शिक्षकों/अन्य समर्पित अमले को संलग्न किये जाने, ई–शिक्षा प्राप्ति व्यवस्था, विद्यार्थियों के लिये अन्य परिवहन सुविधायें (बस/वेन/साईकल/रिक्शा आदि) और आहार पोषण से संबंधित कार्यक्रमों।

''प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों के परिवार के सदस्यों को नर्सिंग, चिकित्सा शिक्षा, इंजीनियरिंग, विधि, प्रबंधन, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक पाठ्यक्रम, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास के लिए विश्व विद्यालय/शासकीय महाविद्यालयों/शासकीय संस्थाओं में शैक्षणिक शुल्क और छात्रावास शुल्क के भुगतान तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग क्लासेस/आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था।''

(ड.) **कृषि एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियां** :– कृषि एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों और कृषि वानिकी से संबंधित क्रियाकलापों का विकास। बीज लघु साज–सामान (seed mini kits) के प्रावधान द्वारा कृषकों को सहायता, कृषि संबंधी औजारों और ड्रिप्स इरिगेशन सहित सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं के लिये वित्तीय सहायता, नलकूप और पम्प विद्युतीकरण हेतु वित्तीय सहायता, कृषकों को कृषि से संम्बद्ध क्रियाकलापों जैसे पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, कृषि वानिकी आदि के लिये सहायता। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का सं. 2) के अंतर्गत वन अधिकार धारकों को इस सहायता की पात्रता होगी।

''कृषि उत्पादों के संग्रहण, भण्डारण एवं प्रसंस्करण इकाई के प्रोत्साहन, खाद्य प्रसंस्करण, लघु वनोपज प्रसंस्करण, वनोषधि प्रसंस्करण, कृषि के उन्नत तकनीकों के प्रयोग संबंधी कार्य, पशुओं के नस्ल सुधार, चारे की व्यवस्था, पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक कार्य, गोठान विकास से संबंधित कार्य, मूल्य संवर्धन, फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज, किसान उत्पादक संगठन(एफपीओ) के कार्यों को प्रोत्साहन, किसान बाजार एवं किसानों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण संबंधित कार्य, खनन प्रभावित वन अधिकार पट्टाधारकों के जीवन स्तर में सुधार एवं जीविकोपार्जन के उपाय, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो कुटकी इत्यादि मोटे अनाज, दलहन–तिलहन का उत्पादन/रकबा बढ़ाने के उपाय, जैविक कृषि को प्रोत्साहन, फलदार वृक्षों का रोपण । ''

(च) महिला एवं बाल कल्याण :– प्रसूता और शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण, संक्रमक व्याधियों आदि की समस्याओं के लिये विशेष कार्यक्रम।

(छ) वृद्ध और निःशक्तजन के कल्याण :– वृद्ध और निःशक्तजनो के कल्याण के लिये विशेष कार्यक्रम।

''वृद्धजनों के लिए सुविधा विस्तार एवं दिव्यांगों के कौशल विकास सह जीविकोपार्जन हेतु उपाय/कार्यक्रम, दिव्यांगों के लिए सुधारात्मक सर्जरी एवं यंत्र/उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था।''

(ज) कौशल विकास एवं रोजगार :– स्थानीय पात्र व्यक्ति के जीविका समर्थन, आय अर्जन और आर्थिक गतिविधियों के लिये कौशल विकास। परियोजनाओं/कार्यक्रमों में, प्रशिक्षण, कौशल विकास केन्द्रों का विकास, स्वरोजगार कार्यक्रम, स्व सहायता समूहों को सहायता और स्वरोजगार आर्थिक क्रियाकलापों, नई पद्धति, उद्मशीलता, इनक्युबेशान सेन्टर की सहायता के लिये आगे और पीछे के संयोजन (linkages) के प्रावधान।

(झ) स्वच्छता :– कूड़े का एकत्रण, परिवहन और निबटारा, सार्वजनिक स्थलों की सफाई, समुचित जल निकास और मल प्रवाह उपचार संयंत्र हेतु प्रावधान, मल कीचड़ के निबटारे का प्रावधान, शौचालय और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिये प्रावधान।

**((ञ) जनकल्याण :– राज्य शासन के निर्देशानुसार केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं से संबंधित गतिविधियों के लिये प्रावधान।)*

''(ट) **सतत् जीविकोपार्जन**– प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय समुदाय के आय एवं जीवन स्तर में सुधार संबंधी उपाय एवं जीविकोपार्जन के विभिन्न उपाय एवं क्षमता निर्माण, ग्रामोद्योग एवं हस्तशिल्प, वन अधिकार पट्टाधारकों के जीवन स्तर में सुधार संबंधी कार्य ।

(ठ) उप–नियम (2) से संबंधित कार्यों के लिये, शासन द्वारा स्वीकृत पद–संरचना के अनुरूप मानव संसाधनों जैसे चिकित्सक, पैरामेडिक्स, नर्सों और शिक्षकों आदि की अंतरपूर्ति की व्यवस्था के लिये ।''

(3) न्यास निधि के शेष 40% को अन्य प्राथमिकता के क्षेत्रो में उपयोजित की जायेगी जैसे कि –

(क) भौतिक अधोसंरचना– आवश्यक भौतिक संरचनाओं जैसे कि सड़को, पुलो, रेलमार्गो, जलमार्गो, विमान पत्तनों, औद्योगिक पार्को/क्लस्टर्स और अन्य औद्योगिक अधोसंरचना आदि उपलब्ध कराने ।

''अन्य प्राथमिकता के क्षेत्रो के अंतर्गत भौतिक अधोसंरचना जैसे कि समस्त प्रकार के भवन निर्माण, सड़को, पुलो, रेलमार्गो, जलमार्गो, विमान पत्तनो, औद्योगिक पार्को/क्लस्टर्स और अन्य औद्योगिक अधोसंरचना आदि के लिए न्यास निधि से अधिकतम 20 प्रतिशत राशि उपयोजित की जा सकेगी।''

(ख) सिंचाई– सिंचाई के विकास, समुचित और उन्नत सिंचाई तकनिकियों को अपनाने के लिये।

''लघु सिंचाई परियोजनायें, उद्वहन सिंचाई (सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना सहित), वाटर शेड (जल ग्रहण कार्यक्रम), प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों में सतत् सिंचाई सुविधा से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी। ''

(ग) उर्जा और जल विभाजक विकास– पारंपरिक विद्युत और उर्जा के अक्षय स्त्रोतों द्वारा घरेलू विद्युतीकरण और विद्युत अद्योसंरचनाओ का सुदृढ़ीकरण, उर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतो (सूक्ष्म जल विद्युत सहित) और वर्षाजल हार्वेस्टिंग सिस्टम का विकास। फलोद्यान, एकीकृत कृषि और आर्थिक वानिकी और जलसंग्रहण क्षेत्र का प्रत्यावर्तन के विकास।

(घ) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्देशित कोई अन्य अद्योसंरचना कार्य।

''(ड.) **सार्वजनिक परिवहन**– प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों और समितियों के माध्यम से परिवहन सुविधाओं संबंधी परियोजनाओं का विस्तार।

(च) **सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण**– खनन प्रभावित क्षेत्रों के समुदायों/निवासियों के मूल सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिये उपाय ।

(छ) **युवा गतिविधियों को बढ़ावा**– खनन प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के सामाजिक/शैक्षणिक/खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों के प्रोत्साहन संबंधित कार्य।

(ज) न्यास निधि के अंतर्गत कियान्वित की जाने वाली विभिन्न विकास योजनाओं को बनाने और उसकी निगरानी के लिये ग्राम सभाओं की क्षमता विकास के लिये प्रशिक्षण।''

(13) उप–नियम (4), (5) एवं (7) का लोप किया जाये।

(4) सीधे वित्तीय पोषण रीति, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रीति के माध्यम से शासन के विभागों, निगमों और मण्डलों के विभिन्न विकास एवं अधोसंरचना से संबंधित परियोजनाओं के लिये;

(5) योग्य मानव संसाधनों जैसे चिकित्सक, नर्सो और शिक्षकों आदि की आवश्यकता पूर्ति/अंतरपूर्ति की व्यवस्था के लिये;

(6) उप–नियम (2) और (3) में वर्णित क्षेत्रों से संबंधित शासन की योजानाओं/कार्यक्रमों की अनुपूर्ति करने के लिये;

(7) न्यास निधि के अंतर्गत संपादित की जाने वाली विभिन्न विकास योजनाओं के बनाने और निगरानी के लिये ग्राम सभाओं की क्षमता विकास के लिये प्रशिक्षण;

(8) वित्तीय वर्ष के दौरान, वास्तव में प्राप्त न्यास निधि के 5% या रूपये एक करोड़, जो भी कम हो, से अनाधिक राशि का व्यय, उस वित्तीय वर्ष के लिये उसके प्रशासकीय अथवा स्थापना के लिये न्यास द्वारा व्यय किया जायेगाः

परन्तु प्रशासकीय अथवा स्थापना व्यय की पूर्ति की उच्चतम सीमा में व्यवस्थापक द्वारा समय समय पर, वृद्धि की जा सकेगी।

(9) वार्षिक प्राप्ति की एक उचित राशि, सतत् आजीविका प्रदान करने के लिये अक्षय निधि के रूप में रखी जायेगी।

**(10) शासी परिषद द्वारा अनुमोदित कार्यो के लिए न्यास निधि से व्यय हेतु स्वीकृति आदेश, प्रबंधकारिणी समिति के पदेन अध्यक्ष द्वारा जारी की जाएगी।''

*(*22क* *जिला खनिज संस्थान न्यास के अधीन किये जाने वाले कार्यों का अनुश्रवण, संबंधित जिला हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिकति द्वारा किया जायेगा.)*

23. **निषेधित कार्य**.– राज्य स्तरीय निगरानी समिति, कतिपय कार्य/कार्यों अथवा गतिविधियों को, जो कि न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लाभकारी न हो, निषेधित कर सकेगा।

24. व्यय का प्रभारित करना.— न्यास निधि को निम्नलिखित व्यय के लिए प्रभारित करने हेतु न्यासी हकदार होंगे :—

(1) न्यास के संचालन एवं क्रियान्वयन और उगाही, परिरक्षण अथवा निवेशों में लाभ और न्यास निधि सहित आस्तियों और न्यास के हितों के संरक्षण हेतु सुव्यवस्थित रूप से किये गये समस्त व्यय;

(2) न्यासियों द्वारा अनुदान प्राप्त करने और/या अन्य कोई संसाधन जो कि उपार्जित हो, के लिए किये गये समस्त व्यय (किसी भी अनुबंध अथवा अन्य विलेख के निष्पादन और/या पंजीयन के लिए प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है);

(3) न्यास से संबंधित मामलों में न्यासी द्वारा अथवा के विरूद्ध विधिक कार्यवाही से संबंधित समस्त व्यय, जिसमें व्यवसायिक शुल्क एवं विधिक सलाहकार का परिव्यय शामिल है;

(4) न्यास के संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए किया गया समस्त विधिक और संविधिक व्यय, जिसमें न्याय के मामले से संबंधित भुगतान की गई/भुगतान की जाने योग्य समस्त लेवी, ड्यूटी एवं अन्य प्रभार सम्मिलित है; और

(5) बैठकों के आयोजन तथा अन्य कार्यवाही और योजना बनाने, क्रियान्वयन, निरीक्षण, समीक्षा और परियोजनाओं को तैयार करने एवं सलाहकारों की सेवाएं लेने, तीसरे पक्ष से निरीक्षण कराने, लेखा परीक्षण और इसी तरह के अन्य प्रासंगिक व्यय के संबंध में किये गये समस्त व्यय।

25. लेखा और लेखा परीक्षा.— (1) प्रबंधकारिणी समिति, न्यास के मामलों में सही एवं निष्पक्ष छवि के लिए न्यास निधि से संबंधित लेखा पुस्तिका, दस्तावेजों और अभिलेखों का समुचित संधारण करेगा अथवा करायेगा;

''(1क) जिले में खनन से संबंधित संक्रियाओं, न्यास निधि में प्राप्तियाँ, न्यास निधि से व्यय, हितग्राहियों की सूची, न्यास में प्राप्त प्रस्ताव, न्यास द्वारा स्वीकृत कार्यों और न्यास में प्राप्त शिकायतों के लिये पृथक–पृथक पंजियों का संधारण व्यवस्थापक द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र के अनुसार न्यास द्वारा किया जायेगा।''

(2) वर्ष की समाप्ति पर न्यास की लेखा का लेखा परीक्षा योग्य लेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा;

(3) न्यास के लेखा परीक्षक की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों की सूची में से शासी परिषद् द्वारा, ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, की जायेगी, जैसा कि शासी परिषद द्वारा विनिश्चित किया जाये;

(4) शासी परिषद् द्वारा लेखा परीक्षकों को हटाया अथवा बदला जा सकेगा;

(5) व्यवस्थापक, लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कर सकेगा अथवा राज्य के महालेखाकार से किसी विशिष्ट वर्ष अथवा कालावधि की लेखा

परीक्षा के लिये, ऐसी शर्तों पर, जैसा कि व्यवस्थापक विनिश्चित करे, अनुरोध कर सकेगा;

(6) न्यास द्वारा अनुमोदित बजट और वार्षिक योजना, आगामी वित्तीय वर्ष की अनुमोदित योजनाओं और परियोजनाओं के साथ जिला पंचायत, जिला प्रशासन और राज्य सरकार को उनकी संबंधित वेबसाईट में प्रकाशन के लिए प्रेषित की जायेगी;

(7) अनुमोदित योजनाओं एवं परियोजनाओं के संबंध में भौतिक एवं वित्तीय विषयक त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन, त्रैमास की समाप्ति के 45 दिवस के भीतर न्यास द्वारा तैयार किया जायेगा और तत्पश्चात् उसे अविलंब जिला पंचायत एवं जिला प्रशासन को उनकी संबंधित वेबसाईट में प्रकाशन के लिये अग्रेषित किया जायेगा;

(8) प्रत्येक वर्ष, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन माह के भीतर न्यास द्वारा संबंधित वित्तीय वर्ष के लिये उसके क्रियाकलापों पर एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कराया जायेगा और उसे न्यास के समक्ष रखा जायेगा;

(9) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर शासी परिषद् से अनुमोदन के उपरांत शीघ्र ही अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन और अनुमोदित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जिला पंचायत और राज्य शासन को, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ, उनके संबंधित वेबसाईट पर प्रकाशन के लिए न्यास द्वारा अग्रेषित की जायेगी;

(10) उपरोक्त अभिकरणों द्वारा उनके अनुमोदन की तिथि से एक माह के भीतर वार्षिक प्रतिवेदन, शासन को प्रस्तुत किया जायेगा और उसे न्यास की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

अध्याय–छः

प्रशासनिक व्यवस्था

26. कर्मचारियों की व्यवस्था.– (1) राज्य सरकार के विभाग, न्यास के प्रबंधन और उसकी वार्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन, जैसा कि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो, के लिये जिले में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों सहित उनके नियंत्रणाधीन कार्मिकों की सेवाएं, उपलब्ध करायेगी।

(2) राज्य सरकार के विभागों से अथवा जिले के नियमित कर्मचारियों से अथवा ऐसे अन्य संवर्ग से न्यास के प्रशासनिक एवं तकनीकी सहायता के लिए अपेक्षित संख्या में मूल कर्मिकों को उपलब्ध कराने का अनुरोध, न्यास द्वारा व्यवस्थापक से किया जायेगा। ऐसे कर्मिकों की सेवाएं उनके स्वयं के संबंधित संवर्ग में बनी रहेगी। यह व्यय, प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय के लिये इन नियमों में दिये गये 5% के अंदर ही होगा।

(3) व्यवस्थापक को, न्यास के दैनंदिनी कार्यो के संचालन के लिए अधिकारियों एवं लेखा परीक्षकों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति होगी। तथापि ये

शक्तियां, व्यवस्थापक द्वारा समय समय पर न्यास को प्रत्यायोजित किये जा सकेंगे।

(4) व्यवस्थापक को, जिले में न्यास को संचालित करने के लिये कर्मचारियों की पदसंरचना विनिश्चित करने शक्ति होगी और यह भी विनिश्चित की जायेगी कि कर्मचारियों की भर्ती (नियुक्ति) या प्रतिनियुक्ति या संविदा आधार पर नियुक्ति से की जाये।

(5) न्यास द्वारा ऐसी सेवा, जैसा कि न्यास के सुचारू संचालन के लिये आवश्यक हो, उपलब्ध कराने के लिए सेवा प्रदाताओं की सेवाएं लगाई जा सकती हैं और इसके संचालन हेतु आकस्मिक व्यय के लिये प्रावधान किया जा सकेगा।

''(6) न्यास के कार्यों की निगरानी, आवश्यक परामर्श, मार्गदर्शन तथा केन्द्र एवं राज्य शासन के साथ समन्वय एवं अन्य आवश्यक कार्यों के संपादन हेतु राज्य स्तर पर जिला खनिज संस्थान न्यास प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा। जिला खनिज संस्थान न्यास प्रकोष्ठ हेतु पद–संरचना एवं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा राज्य स्तरीय निगरानी समिति के अनुमोदन से दी जायेगी।''

27. **न्यासियों का दायित्व.**– (1) सम्यक् तत्परता के साथ सद्भावनापूर्वक किये गये किसी कार्य के लिए न्यासी उत्तरदायी नहीं होगा। किसी बैंकर, ब्रोकर, संरक्षक अथवा अन्य किसी व्यक्ति, जिसके पास कोई प्रतिभूति सद्भावनापूर्वक जमा किया गया है या रखा गया है, के लिए न्यासी उत्तरदायी अथवा जिम्मेदार नहीं होगा और न ही न्यास निधि की किसी भी निवेश के मूल्य में कमी या अपर्याप्तता के लिए और न ही अन्य किसी भी अनैच्छिक नुकसान के लिए न्यासी उत्तरदायी अथवा जिम्मेदार होगा।

(2) न्यासी और प्रत्येक अटार्नी या न्यासी द्वारा नियुक्त अभिकर्ता, गंभीर लापरवाही अथवा जानबूझकर कदाचरण के कारण उद्भूत विषयों को छोड़कर, न्यास के निष्पादन के लिए सभी देनदारियों, हानि और व्यय के संबंध में न्यास निधि से बाहर क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे, परन्तु इस तरह की क्षतिपूर्ति, किसी भी स्थिति में कुल अभिदान से अधिक नहीं होगी।

28. **न्यासियों का पारिश्रमिक.**– न्यासियों को उनकी सेवाओं के लिए किसी भी पारिश्रमिक की पात्रता नहीं होगी। न्यासियों में से नामांकित सदस्यों को उनके द्वारा वास्तविक रूप से भाग ली गयी न्यास की बैठकों के लिये प्रति बैठक, बैठक शुल्क के रूप में व्यवस्थापक द्वारा विनिश्चित कतिपय शुल्क भुगतान किया जायेगा। न्यास के पदेन सदस्यों को इस प्रकार के किसी बैठक शुल्क की पात्रता नहीं होगी।

29. कार्यों/संविदाओं का निष्पादन.– (1) कार्यों/वस्तुओं को ऐसे प्रक्रिया, जो कि ऐसे अर्जन के लिये राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये, के सम्यक् अनुपालन के पश्चात् न्यास द्वारा अर्जित किया जा सकेगा।

(2) जहां तक संभव हो, न्यास द्वारा किये जाने वाले कार्यों को शासकीय विभागों, अभिकरणों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जो सामान्यतः इस तरह के कार्यों को करते हों, जो इस तरह के कार्य निष्पादित करने अथवा ठेका देने के समय संस्था के लिए लागू सुसंगत मानदंडों का अनुपालन करेगा, के माध्यम से ही निष्पादित किया जायेगा।

(3) कार्य का तकनीकी अनुमोदन और पर्यवेक्षण ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायेगा, जो संबंधित विभाग को यथा प्रयोज्य शक्तियों का प्रशासकीय प्रत्यायोजन के अन्तर्गत इस प्रकार कार्य करने हेतु सक्षम हो।

(4) ऐसे कार्यों के संबंध में, जिसे शासकीय विभागों, अभिकरणों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता हो, प्रबंधकारिणी समिति, पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, किसी अन्य सक्षम एवं सुदृढ़ संस्था को शासी परिषद् के पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, प्रदान कर सकेगी।

(5) सभी अभिकरण एवं हितग्राहियों को निधि का अन्तरण उनके बैंक खाते में किया जायेगा।

अध्याय–सात

विविध

30. अधिसूचित क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान.– अधिसूचित क्षेत्र के भीतर स्थित खनन से प्रभावित ग्रामों के संबंध में–

(1) ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक होगा;

(क) ग्राम पंचायतों द्वारा लिये गये समस्त योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिये;

(ख) राज्य शासन के विद्यमान दिशा निर्देशों के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान के लिये।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात् संबंधित ग्राम में लिये गये कार्यों का प्रतिवेदन, ग्राम सभा को प्रस्तुत किया जायेगा।

31. न्यास विलेख में संशोधन.– न्यास विलेख, केवल व्यवस्थापक की पूर्व सहमति से ही समय समय पर संशोधित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं।

32. **किसी भी योजना/परियोजना को शामिल करने अथवा प्रतिबंध लगाने की व्यवस्थापक की शक्ति.**— व्यवस्थापक को, किसी भी योजना/परियोजना अथवा खनन या खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र और व्यक्तियों के कल्याण के उद्देश्य की अवधारणा को शामिल करने/प्रतिबंध लगाने की शक्ति होगी।

33. **स्पष्टीकरण.**— इस न्यास विलेख के उचित और सुचारू क्रियान्वयन के लिए आवश्यकता होने पर कोई स्पष्टीकरण व्यवस्थापक द्वारा, जब भी आवश्यक हो, जारी किया जायेगा।

34. **न्यास की मुद्रा (सील).**— शासी परिषद् की बैठक में न्यासी, न्यास के प्रयोजन हेतु एक मुद्रा (सील) उपलब्ध कराने का विनिश्चिय कर सकेंगे और उसे समय समय पर नष्ट करने और उसके बदले में एक नवीन मुद्रा (सील) प्रतिस्थापित करने की शक्ति होगी। न्यास की मुद्रा (सील), प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेगी तथा अध्यक्ष को, न्यास के लिए और न्यास की ओर से उसका उपयोग करने की शक्ति होगी।

35. **प्रतिसंहरण.**— यह न्यास व्यवस्थापक के विवेक पर प्रतिसंहरणीय है। न्यास उस समय तक अस्तित्व में बना रहेगा जैसा कि व्यवस्थापक द्वारा विनिश्चित की जाये। न्यास के परिशमन होने के समय, न्यास की सभी आस्तियां और देनदारियां, राज्य सरकार को हस्तांतरित की जायेगी।

36. **इन नियमों के कियान्वयन में छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति.**— राज्य सरकार, कारण को अभिलिखित करते हुए और लिखित में आदेश जारी करते हुए, इन नियमों के प्रावधानों को ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों, जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, के अध्यधीन रहते हुए, शिथिल कर सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(इफ्फत आरा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग